# प्रेस नोट थाना बण्डा

## जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

### सराहनीय कार्य दिनांक 29.04.2026

## "सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ वायरल पोस्ट पर थाना बण्डा पुलिस की त्वरित व प्रभावी कार्यवाही, अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद"

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियो की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान दिनाँक 29.04.2026 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक **28.04.2026** को सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ एक पोस्ट वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना बण्डा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त क्रम में व0उ0नि0 विनीत कुमार मय हमराह हे0का0 यशवीर सिंह व का0 रोहित द्वारा शान्ति व्यवस्था/संदिग्ध व्यक्ति-वाहन चेकिंग व अपराध नियंत्रण के दौरान मुखबिर की सूचना पर पूरनपुर रोड से लगभग 500 मीटर आगे, ग्राम कुंवरपुररत्ती की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर, करबला से आगे दिनांक **28.04.2026** को समय 23:15 बजे अभियुक्त अंशुमान पुत्र अजय निवासी ग्राम पसियापुर थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष को घेराबंदी कर विधि-सम्मत तरीके से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की पुष्टि हुई। गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। चूँकि अभियुक्त की आयु 21 वर्ष से कम है, अतः नियमानुसार उसे थाने से जमानत पर रिहा किया गया। जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित, सतर्क एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

अंशुमान पुत्र अजय निवासी ग्राम पसियापुर थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अं0सं0 179/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर।

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः-**

दिनांक 28.04.2026 को समय 23.15 बजे वाहद ग्राम कुंवरपुररत्ती को जाने वाले कच्चे रास्ते पर पूरनपुर रोड से लगभग 500 मी0 कुंवरपुररत्ती गांव की तरफ करबला से आगे से

**बरामदगी का विवरणः-**

- एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

**गिरफ्तार करने वाली टीमः –**

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 विनीत कुमार थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर
3. हे0का0 492 यशवीर सिंह थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर
4. का0 2057 रोहित कुमार थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर